संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A11-43(1)/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1889 /Affi-2017-18 दिनांक 03.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार को बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत एवं अर्थशास्त्र, ड्राइंग एवं पेन्टिग तथा गृह विज्ञान), बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में सत्र 2015–16 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– मा0 कुलाधिपति जी द्वारा प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल व कुलपति जी की संस्तुति एवं छात्रहित के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत एवं अर्थशास्त्र–50 सीट प्रत्येक विषय) बी0ए0–ड्राइंग एवं पेन्टिग में (20 सीट) बी0ए0–गृह विज्ञान (40 सीट), बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान (50 सीट प्रत्येक विषय) तथा बी0एससी0–रसायन विज्ञान में (100 सीट) एवं बी0कॉम0–(50 सीट) पाठ्यक्रमों में सत्र 2015–16 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन इस उपबन्ध के साथ दी गई है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार लेते हुए तद्नुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।

3– कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4– कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4508 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-43(1) /2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।